रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 455] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 1984/अग्रहायण 5, 1906

No. 455] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 1984/AGRAHAYANA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1984

सा० का० नि० 793 (अ) :—प्रमुख पोर्ट्स ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यहां दी गई अनुसूची में उल्लिखित मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (पोर्ट ट्रस्ट प्रतिभूतियों का निर्गमन और प्रबंध) विनियम, 1978 के संशोधन का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

अनुसूची

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (पोर्ट ट्रस्ट प्रतिभूतियों का निर्गमन और प्रबंध) संशोधन विनियम, 1978 में संशोधन।

सं. एस० आर० ओ० सी० 5/84

[सं० एस० ए०/प्रतिभूतियां/15950/79/ए]

उक्त विनियमों में प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट्स अधिनियम, 1963 की धारा 124 (2) के रूप में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए जाते हैं :—

1. विनियम 8 (1):—पोर्ट ट्रस्ट प्रतिभूति पर निर्गमन रजिस्ट्रार द्वारा बाण्ड के रूप में ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि पोर्ट ट्रस्ट प्रतिभूति पुस्तिका में उल्लिखित है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं :—

(i) ब्याज का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, मद्रास मुख्य शाखा, मद्रास-1 का बाण्ड प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

(ii) ब्याज के भुगतान का दावा निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा :

(क) स्वयं धारक, अथवा

(ख) विधिवत प्राधिकृत एजेंट, अथवा धारक का वकील, अथवा

(ग) धारक (यदि धारक अवयस्क अथवा पागल हो) का वास्तविक अथवा प्रमाणित संरक्षक अथवा प्रबंधक जिसे असीमित अधिकार प्राप्त हों ; अथवा

(घ) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र धारी अथवा मृत बाण्ड धारी की सम्पदा का कार्यपालक अथवा प्रशासक के रूप में बाण्ड के हकदार व्यक्ति।

(iii) सभी पृष्ठांकन स्पष्ट और बिना किसी काट-छांट अथवा अनधिकृत रूप से काटे गए होने चाहिए।

(iv) बाण्ड में कोई खाली अथवा रेखांकित पृष्ठांकन नहीं होना चाहिए।

(v) एक पृष्ठांकन खाना बिना मुहर छोड़ दिया जाना चाहिए और नवीकरण खाना खाली छोड़ना होगा।

(vi) बाण्ड के दूसरी तरफ ब्याज के खानों को पूरी तरह से नहीं भरा जाना चाहिए और बाण्ड में उस छमाही के लिए मुद्रित ब्याज के खाने होने चाहिएं जिसके लिए बाण्ड प्रस्तुत करने की तारीख को ब्याज देय हुआ हो।

(vii) ऐसा न हो कि ब्याज 10 वर्ष अथवा अधिक से न लिया गया हो।

(viii) बाण्ड गन्दा, फटा हुआ, विकृत अथवा गणना के लिए अन्यथा दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए (ऊपरी और नीचे के आधे विभाजित होने को विकृत नहीं समझा जाएगा यदि दोनों आधे-आधे भाग अच्छी तरह से जुड़े हों)।

(ix) रजिस्टर में टिप्पणी के सामने रोके जाने की कोई सूचना दर्ज न हो।

(x) भुगतान का तथ्य बाण्ड के दूसरी ओर दिए गए ब्याज के खानों में अंकित हो।

(xi) रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए ब्याज पर प्रत्येक वर्ष पारित वित्त अधिनियम में समय-समय पर निर्धारित की गई समुचित दर पर स्रोत पर आय कर देय होगा।

2. विनियम 10: विनियम 10 में एक उप विनियम (3) जोड़ा जाएगा :

"(3) आवेदक द्वारा पोर्ट ट्रस्ट प्रतिभूति अथवा पोर्ट ट्रस्ट प्रतिभूति का एक भाग अथवा बाण्ड के रूप में पोर्ट ट्रस्ट प्रतिभूति के खो जाने, चोरी चले जाने, नष्ट हो जाने, विकृत अथवा रूप बिगड़ जाने का भारत के राजपत्र और स्थानीय सरकारी राजपत्र के निरंतर तीन अंकों में अधिसूचित किए जाने के अलावा उसे तत्काल ही आवेदक द्वारा अंग्रेजी और देशी भाषा के किन्हीं दो समाचार पत्रों में, जो उस स्थान पर व्यापक रूप से प्रचलित हों, जहां पोर्ट ट्रस्ट प्रतिभूति खोई हो अथवा चोरी इत्यादि की घटना हुई हो, जनता को उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में पोर्ट ट्रस्ट प्रतिभूति की अवैध बिक्री अथवा खरीद के विरुद्ध चेतावनी देते हुए अधिसूचित किया जाएगा।"

3. विनियम 11 (1) (क) :—विनियम में "अवधि जिसे नियत अधिकारी आवश्यक समझे" शब्दों के स्थान पर "उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से छह माह" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

विनियम में "अथवा उन शर्तों पर जिन्हें नियत अधिकारी द्वारा परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाए" शब्दों को निकाल दिया जाएगा।

4. विनियम 16 :—विनियम के उप-विनियम (1) और (2) में उल्लिखित "(नियत अधिकारी के किसी सामान्य अथवा विशेष अनुदेश पर)" शब्दों को निकाल दिया जाएगा।

5. विनियम 17 :—विनियम के उप नियम (1) में उल्लिखित "(नियत अधिकारी के किसी सामान्य अथवा विशेष अनुदेश पर)" शब्दों को निकाल दिया जाएगा।

6. विनियम 9 :—विनियम 9 के उप-विनियम में निम्नलिखित दो धाराओं को शामिल किया जाएगा :

"(छ) क्या खोने, चोरी इत्यादि की घटना को भारत के राजपत्र और उस स्थान के स्थानीय सरकारी राजपत्र, यदि कोई हो, जहां खोने, चोरी इत्यादि की घटना हुई हो, के निरंतर तीन अंकों में अधिसूचित किया गया।

(ज) क्या खोने, चोरी इत्यादि की घटना अंग्रेजी और देशी भाषा के स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचित की गई।"

विनियम 9 के उप-विनियम (2) में एक नई धारा (ङ) को शामिल किया जाएगा, जो निम्नलिखित है :—

"(ङ) राजपत्र अधिसूचना और समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिसूचनाओं से सम्बन्धित पेपर कटिंग्स की एक-एक प्रति।"

[फाइल सं० पी० डब्ल्यू/पी० जी० एल०/22/79]
पी० एम० अब्राहम, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1984

G.S.R. 793(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Amendments to Madras Port Trust (Issue and Management of Port Trust Securities) Regulations, 1978 as set out in the Schedule hereto.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

AMENDMENTS TO MADRAS PORT TRUST (ISSUE AND MANAGEMENT OF PORT TRUST SECURITIES) REGULATIONS, 1978.

No. SRO C-5|84

(No. SA|Securities|15950|79|A.)

The undernoted amendments to the above Regulations are hereby notified in terms of section 124 (2) of the Major Port Trusts Act, 1963:—

1. Regulation 8(1) :—Interest on a Port Trust Security in the form of a Bond shall be paid by the Registrar of issue specified in the Port Trust Security prospectus subject to satisfying the following conditions:—

(i) The interest is payable on the presentation of the Bond to the State Bank of India, Madras main Branch, Madras-1.

(ii) The claim for payment of interest has to be adduced by :

(a) The holder in person ; or

(b) The duly authorised agent, or attorney of the holder; or

(c) The natural or certified guardian or manager of the holder (if the holder is a minor or lunatic) having unrestricted powers; or

(d) The persons entitled to the bond as succession certificate holder or as executor or administrator to the estate of the deceased holder of the bond.

(iii) All the endorsement should be legible and distinct without any erasure or unauthenticated deletion.

(iv) The bond should not bear any blank or cross endorsement.

(v) There should be one endorsement cage left unfilled and the renewal cage has to be left blank.

(vi) The interest cages on the reverse of the bond should not be completely filled and the bond should bear printed interest cages corresponding to the half years for which interest has accrued on the date of presentation.

(vii) Interest should not have been left undrawn for 10 years or more.

(viii) The bond should not have been soiled, torn, mutilated or otherwise defective for calculation (Division into an upper and lower half is not reckoned as unutilisation if the two halves are firmly rejoined).

(ix) No notice of stoppage stands recorded in the register against the note.

(x) The fact of payment is marked in the interest cages provided on the reverse of the bond.

(xi) The interest payable by the Registrar is liable for deduction of Income-tax at source at the appropriate rate prescribed from time to time in the Finance Act, passed each year.

2. Regulation 10 :—A sub-regulation (3) shall be added to Regulation 10—"(3) In addition to notifying by the applicant the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of a Port Trust Security or portion of a Port Trust Security or Port Trust Security in the form of a bond in three successive issues of the Gazette of India and in the local official gazette, the same shall also forthwith be notified by the applicant in any two newspapres in English and vernacular having vast circulation at the place at which the Port Trust Security was lost, stolen, etc., cautioning the public against the illegal sale or purchase of the Port Trust Security in the form prescribed under sub-regulation (2) above."

3. Regulation 11(1)(a) :—The words 'such period as the prescribed officer may consider necessary', occurring in the Regulation shall be substituted by the words 'six months from the date of publication of the said list'.

The words 'or on such conditions as may be considered in the circumstances by the prescribed officer' occurring in the Regulation shall be deleted.

4. Regulation 16 —The words 'subject to any general or special instructions of the prescribed officer), in sub-regulation (1) and (2) of the Regulation shall be deleted.

5. Regulation 17 :—The words '(subject to any general of special instructions or the prescribed officer), 'appearing in sub-regulation (1) of the regulation shall be deleted.

6. Regulation 9 :—The following two clauses to sub-regulation (1) of regulation 9 shall be added :

(g) Whether the loss, theft, etc., was notified in three successive issues of the Gazette of India, and the local official gazette, if any of the place where the loss, theft, etc., occurred.

(h) Whether the loss, theft, etc., was notified in the local newspapers in English and vernacular".

A new clause (e) shall be added to sub-regulation (2) of Regulation 9 as under :—

"(e) a copy of each of the gazette notification and the paper cuttings regarding the notifications in the newspapers."

[F. No. PW.|PGL|22|79]
P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985